

TYPIT TITE, GTT TIGHT

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

DINNE

लखनंऊ, सोमवार, 3 मई, 1976 वंशाख 13, 1898 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार] विभायका अनुभाग-1

संबंधा 1998/17-बि0-1--152-75 लखनक, 3 मई, 1976

श्रिष्टिस् सना विविध

''भारत का संविधान'' के स्रतुष्छेद 201 के सधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंश्रत द्वारा पारित उत्तर प्रदेश श्रधिकतम जोत सीमा श्रारोपण (संशोधन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 30 श्रप्रैल, 1976 ई0 को भृतुमति प्रदान की श्रीर वह उत्तर प्रदेश ग्रधिनियम संख्या 20, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस प्रधि-स्वना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

ुंदत्तर प्रदेश प्रधिकतम जोत-सीमा स्नारोपण (संशोधन) स्रधिनियम, 1976

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976)

ं (जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुन्ना)

उद्देश अविकतम जोत-सीमा आरोपण अविनियम, 1960 का अग्रेतर संशोधन करने के लिखें अधिनियम

मारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

- 1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोबन) श्रधिनियम, संक्षिम्त नाम धीर भारम्म
 - (2) यह 10 अन्तूबर, 1975 से प्रवृत्त समझा जायगा।
 - े 2—एतद्दारा यह घोषणा की जाती है कि यह अधिनियस सविधान के अनुच्छेद 33 के खण्ड कोवणा ।) तथा (ग) में विनिदिष्ट तस्यों को सुनिष्टित करने के लिये राज्य की नीति की प्रभानी करने के

उत्तर प्रदेश अवि-नियम संख्या 1, 1961 में शब्द "प्रतिकर अचि-कारी" के स्थान पर शब्द "नियत प्राविकारी" और "प्रतिकर निर्वारण तालिका" स्थान पर शब्द "निर्घारण तालिका" रखा जाना

नियम कहा गया है:-(क) शब्द "प्रतिकर अधिकारी" जहां कहीं आयें हों, उनके स्थान पर शब्द "नियह प्राविकारी" रखें जावेंगे, और (জ) शब्द "प्रतिकर निर्धारण तालिका" जहां कहीं आये हों, उनके स्थान पर शब्द

"निर्घारण तालिका" रखे जार्येगे ।

उत्तर प्रदेश ग्रधि-नियम संख्या 1, 1961 की वारा

2 का संशोधन

घारा 3 संशोवन

4---मूल अधिनियम की धारा 2 में खण्ड (2)में, शब्द "उत्तराखण्ड मण्डल और कुमायूं मण्डल (डिवीजन)" के स्थान पर ज्ञब्द "कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डल" रखे जायेंगे, और 20 दिसम्बर, 1968 से रखें गये समझे जायेंगे।

5---मल अविनियम की धारा 3 में---

(क) खण्ड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जायगा और सदैव से रखा गर्ये। समझा जायगा, अर्थातुः---

3-- उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 में, जिसे आगे मूल अधि

"(5) 'निगम' का तात्पर्य किसी संविधिक निगम, अर्थात् किसी उत्तर प्रदेशूँ अविनियम या केन्द्रीय अघिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम से है 🎏

- (ख) खण्ड (8) में, शब्द "पपीता, केलाया अगुर की लतायें" के स्थान पर शब्द "अमहर्द, पपीता, केला या अंगूर की लतायें" रखे जायेंगे और 8 जून, 1973 से रखें गर्यें समझे जायेंगे :
- (ग) खंड (11) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जायगा और 8 जून, 1973 से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्:---
 - "(11)'सिचित मूर्मि का तात्पर्ये धारा 4-क में निर्वारित रीति से उस रूप में अवधारित मूर्मि से है।"

6---मूल अधिनियम की घारा 5 में,---वारा

- (क) उपचारा (1) में, उसके स्पष्टीकरण 2 में, शब्द "यदि कोई मूमि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मूलतः वृत थी जो वास्तव में उसके कब्जे में चली आ रही है किन्तु बाद में वाषिक रजिस्टरों में किसी अन्य व्यक्ति का नाम " के स्थान पर शब्द "यदि 24 जनवर्षी 1971 को या उसके पूर्व कोई मूमि किसी व्यक्ति के पास थी, जिसका जोत कब्जा उस पूर् चला आ रहा है और उक्त दिनांक के पश्चात वार्षिक रजिस्टर में किसी अन्य व्यक्ति का नामी रखा जायगा और 17 जनवरी, 1975 से रखा जया समझा जायगा ;
- (ख) उपचारा (6) में, उसके स्पष्टीकरण 1 में, वर्तमान खंड (क) के स्थान पर् निम्नलिखित खंड रखा जायगा, अर्थात्:--
 - "(क) किसी बाद या कार्यवाही में, 24 जनवरी, 1971 के पश्चात् किसी व्यक्ति ेको सह-खातेदार के रूप में घोषित किया जाना, मले ही ऐसा बाद या ऐसी कार्यवाही 24 जनवरी, 1971 को विचारात्रीन थी अयवा उसके परचात् संस्थित की गयी थी।";
 - (ग) उपचारा (७) में, उसके प्रतिवन्वात्मक खंड का खंड (क) निकाला जायगी
 - (य) उपवारा (७) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा वहायी जायगी, अर्थात् 🗟 "(8) उपघारा (6) तथा (7) में किसी बात के होते हुये भी, कोई खातेवाई अपने विषय में अतिरिक्त भूमि को अवद्यारण करने के लिये कार्यदाही पर्यन्त अपनी खाते की किसी मूमि का अन्तरण नहीं करेगा और इस उपधारा के उल्लंघन में क्यि गया प्रत्येक अन्तरण शून्य होगा।

स्पष्टीकरण-इस उपवारा के प्रयोजनार्थं यह समझा जायगा कि अतिरित्त मूमि के अवधारण की कार्यवाही घारा 9 की उपवारा (2) के अधीव तोटिस प्रकाशन के दिनांक को प्रारम्य हुई और उस दिनांक को समाप्त हुई, जबकि स्नातेदार के सम्बन्ध में बारा 11 की उपधारा (1) के अधीन या कारा 12 उपवारा (1) के अबीन या, यथारिषदि, घारा 13 के अधीन आदेश दिया जाये

संशोधन

मूल निधिनियम की घारा, 6 की उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः तंख्यांकित किया बायना और उसे सदैव उसकी उपवारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित समझा जायना, और-

धारा GT संशोवन

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपचारा (1) में, निम्नलिखित स्पर्ध्टीकरण बहाया जायना, और सदैव से वहाया गया समझा जायगा, अर्थात्--

''स्पर्व्हीकरण:—उपघारा (1) के लंड (च) की कोई बात उक्त उपधारा के लंड (छ) में निदिष्ट नोशाला के सम्बन्ध में लागू न होगी।";

(स) इस प्रकार पूनः संख्यांकित उपघारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपघारायें वढ़ाई जायेंगी और सर्देव से बढ़ाई गयी समझी जायेंगी, अयित्-

"(2) कोई व्यक्ति राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के विना उपवारा (1) के खंड (घ) या संड (ङ्) या खंड (च) या खंड (छ) में निर्दिष्ट किसी मूमि का अन्तरण नहीं करेगा, और ऐसी बनुज्ञा के विना किया गया प्रत्येक अन्तरण, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी वात के होते

प्रतिबन्च यह है कि इस उपघारा की कोई बात धारा 5 की उपघारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी ्रियक्ति द्वारा या उसके पक्ष में किसी अन्तरण पर लागू न होगी।

(3) किसी मूमि को, जो किसी ऐसे अन्तरण का विषय हो, जो उपवारा (2) के आबार परं शून्य है, व्यतिरिक्त भूमि समझा जायगा, और वह दिनांक 10 अक्तूबर, 1975 या ऐसे तात्पयित अन्तरण के दिनांक से, जो भी पश्चात्वतीं हो, समस्त मार से मुक्त होकर राज्य सरकार की अन्तरित और उसमें निहित् हो जायनी, और उस भूमि में समस्त व्यक्तियों के समस्त श्रधिकार, ग्रागम तथा

प्रतिवन्य यह है कि भार, यदि कोई हो, प्रतिरिक्त भूमि के स्थान पर धारा 17 के अधीन देय राशि से सम्बद्ध हो जायगा ।

(4) जहां कोई मूमि उपघारा (3) के अवीन अतिरिक्त मूमि समझी जाय—

(1) वहां बारा 14 की उपघारा (8) के उपवन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह उनत धारों की उपवारा (1) के अधीन अविसूचित मूमि हो ;

(2) बारा 17 के अवीन उसके लिये देय राशि उस व्यक्ति को दी जायेगी जिसके पक्ष में ऐसा अन्तरण करना तात्पायत हो।"

मूल अधिनियम की घारा 9 में,—

.. (क) उपवारा (2) में, निम्नलिखित ,्रप्रतिबन्यात्मक खंड बढ़ाया जायगा, अर्थात्:...

"प्रतिवन्य यह है कि 10 अक्तूबर, 1975 के पश्चात् किसी समय नियत प्राविकारी नोटिस द्वारा किसी ऐसे खातेदार से जिसके पास उक्त दिनांक को उसके सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिक-तम क्षेत्र से अधिक मूमि हो, यह अपेक्षा कर सकता है कि वह नियत प्राधिकारी को ऐसी नाटिस की तामील के दिनांक से तीस दिन के मीतर उपघारा (1) में निर्दिष्ट विवरण या उससे सम्बन्धित कोई सूचना प्रस्तृत करे।";

(ख) उपघारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपवारा बढ़ायी जायगी, अर्यात्— "(2-क) प्रत्येक खातेदार जिसके पास 24 जनवरी, 1971 को, या उसके पश्चात् किसी समय अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो और जिसने उपचारा (2) में निद्विष्ट विवरण प्रस्तुत न किया हो और जिसके सम्बन्ध में 10 अक्तूबर, 1975 को इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही विचाराचीन न हो, उक्त दिनांक से तीस दिन के नीतर नियत प्राधिकारी को एक विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें---

(क) 24 जनवरी, 1971 को उसके और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा घृत,

(ख) 24 जनवरी, 1971 और 10 अक्तूबर, 1975 के बीच उसके द्वारा या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अजित या निस्तारित, समस्त नूमि का ब्योरा दिया जायगा।"

9---मूल अविनियम की घारा 12-क में, उसके प्रतिवन्धात्मक खंड में,---

(1) खंड (ग्) में शब्द "किसी वैकिंग कम्पनी" के स्थान पर शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक "उत्तर प्रदेश कृषि उघार अधिनियम, 1973 की घारा 2 के खंड (ग) में यथा परिमापित किसी बैंक" रखे जायेंगे और 31 मार्च, 1975 से रखे गये समझे जायेंगे;

(2) खंड (घ) में, उपखंड (1) में शब्द "प्रतिकर" के स्थान पर शब्द "राणि" रखा आयगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा।

10--मूल अधिनियम की धारा 13-क में, उपघारा (2)ने, शब्द और अंक "और 15" ्रिस्थान पर शब्द और अंक "15 और 16" रखे जायेंगे।

षारा 12-क का संशोधन

वारा

संशोवन

घारा 13→寄 का संशोवन

धारा 14 का संशोधन 11-मूल अधिनियम भी भारा 14 में--

(क) उपवारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायेगी, अर्थात्:--

"(2) जपवारा (1) के अधीन अधिसूचना के दिनांक के प्रारम्भ से ऐसी समस्त अति रिक्त भूमि समस्त भार से मुक्त होकर राज्य सरकार को अन्तरित तथा उसमें निहित हो जायेगी और उस धिनांक से उस भूमि में समस्त व्यक्तियों के समस्त अभिकार, बागम तथा स्वत्व समाप्त हो जायेंगे :

प्रतिवत्य यह है कि सार, यदि कोई हो, अतिरिष्ठत मूमि के स्थान पर वारा 17 के अबीन देय राशि से सम्बद्ध हो जायगा।"

(ख) उपवारा (3), (4), (5), (6), तथा (7) निकाल दी जायगी;

(ग) उपचारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपघारा रखी जायगी, अर्थात्:--

"(8) कलेक्टर उपवारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी समय अतिरिक्त सूमि पर और किसी असंगृहीत फसल या वृक्षों के फल पर भी, जो ऐसी फसल या फल न हो जिन पर बारा 15 की उपधारा (1) लागू होती हो, खातेंदार या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसके अध्यासन में वह सूमि हो, बेदखल करने के पश्चात् कक्जा कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसे वल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो :

प्रतिबन्ध यह है कि खातेदार किसी समय कलेक्टर को अपने द्वारा धृत सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग का कब्जा स्वेच्छा से दे सकता है, जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन और अनुसार अतिरिक्त भूमि घोषित किया गया हो या घोषित किये जाने की संभावना हो, और तदुपरान्त ऐसी भूमि पर उपधारा (2) के उपबन्ध वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिद्धित किसी अतिरिक्त भूमि पर लागू होते हैं।"

धारा 15 का संशोधन 12--मूल ग्रिधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (1) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात:--

"स्पष्टीकरण—इस बारा के प्रयोजनार्थ, पद 'ग्रसंगृहीत फसल या वृक्षों के फल' का तात्पर्य किसी ऐसी फसल या फल से है जो धारा 14 की उपधारा (1) के ग्रधीन ग्रधिस्चना के दिनांक को विद्यमान हो ग्रीर इसमें कोई ग्रनुवर्ती फसल या वृक्षों के फल सम्मिक्षित नहीं हैं।"

नई घारा 16 का बढ़ाया जाना 13--मूल ग्रिधिनियम के अध्याय 2 में, घारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ाई जायगी, अर्थात् :--

"16—यदि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 अतिरिक्त भूमि के उप-मोग तथा अध्यासन के पास उस पर प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो तो वह खातेदार जुलाई, 1973 के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होते वाली अवधि से धारा 14 की: उपधारा (8) के अधीन कलेक्टर द्वारा उक्त अतिरिक्त भूमि का कब्जा लिये जाने के दिनांक तक, या उस दिनांक

क्षेत्रवर्ध होरा उक्त श्रातारक्त भूमिका केव्जा लिय जान के दिनाक तक, या उस दिनाक तक जब खातेदार उक्त उपधारा के प्रतिबन्धात्मक खंड के श्रधीन कलेक्टर को स्वेच्छा से कब्जा दे, जो भी पहले हो, उसके उपयोग श्रौर श्रध्यासन के लिये राज्य सरकार को उस प्रतिकर का देनदार होगा, जो नियत किया जागा"

धारा 17 का संगोधन 14---मूल अधिनियम की धारा 17 में---

(क) अध्याय 3 के शिषंक सिंहत पाश्वं शीर्षंक में, शब्द "प्रतिकर" के स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा और सर्देव से रखा गया समझा जायगा;

(ख) उपवारा(1)में, शब्द "प्रतिकर" के स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा और सर्दन से रखा समझा जायगा;

(ग) उपधारा (2) के स्थान पर निम्निलिखित उपधारा रखी जायगी झौर सर्देव से रखी गयी समझी जायगी, ग्रर्थातु:—

"(2) खातेदार का शिकमी काश्तकार या असामी, जो उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 11 में उल्लिखित असामी न हो, खातेदार को देयराशि में से एक भाग पाने का हकदार होगा और उसे वह दिया जायगा। शिकमी काश्तकार या असामी को देय राशि का भाग उसके अधीनवर्ती स्वत्व की अव्यतीत अवधि के लिये मौक्सी दरों पर आकलित मालगुजारी की पूरी राशि के बराबर होगी, परन्तु शिकमी काश्तकार या असामी किसी भी दशा में, खातेदार को देय राशि के एक चौथाई भाग से अधिक पाने का हकदार न होगा। वह राशि खातेदार तथा शिकमी काश्तकार या असामी के बीच नियत प्राधिकारी द्वारा विभाजित की जायगी।";

्घ) उपधारा (3) में ग्रब्द "प्रतिकर" जहां कहीं भी आया हो, उसके स्थान पर कब्द "राशि" रखा जायगा भौर सदैव से रखा गया समझा जायगा । 15-मूल अधिनियम की धारा 17-क में-

(क) उसके पार्श्व शीर्षक सहित खंड (1) और (2) में शब्द "प्रतिकर" जहां कहीं आया हो, उसके स्थान पर शब्द "राधि" रेखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा

(ख) खंड (3) में, शब्द "प्रतिकर धारा 17 के श्रनुसार दिया जायगा", के स्थान पर शब्द "राणि धारा 17 के घनुसार दी जायगी" रखे जायेंगे और सदैव से रखे गये समझ जायेंगे ।

16--मूल अधिनियम की धौरा 17-ख में--

 (क) पार्श्व शीर्षक में शब्द "कितिपय मामलों में प्रतिकर लौटाया जाना" के स्थान पर शब्द ''कतिपय मामलों में राशि का लीटाया जाना'' रखे जायेंगे ग्रीर सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ;

(ख) उपधारा (1) में शब्द "दिये गये प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि या जैसी भी दशा हो, श्रानुपातिक धनराशि" के स्थान पर शब्द "उसको दी गयी सम्पूर्ण राशि या, जैसी भी दणा हो, उसका धानुपातिक भाग" रखे जायेंगे भीर सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

17---मल अधिनियम की धारा 18 में शब्द और श्रंक "धारा 17 के अधीन देय प्रतिकर" के स्थान पर शब्द और अंक ''धारा 17 के अधीन देय राशि'' रखे जायेंगे श्रौर सदैव से रखे गये समझें भायेंगे।

18--मूल अधिनियम की घारा 19 में, उपधारा (1) में, शब्द और श्रंक 'धारा 17 के मधीन प्रतिकर" के स्थान पर शब्द और श्रंक "धारा 17 के श्रधीन देय राशि" रखे जायेंगे श्रीर सदैव सि रखे नये समझे जायेंगे।

19---मूल अधिनियम की धारा 22 में---

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "प्रतिकर" के स्थान पर शब्द "राधि" रखा जायगा भीर सदैव से रखा गया समझा जायगा ;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द "प्रतिकर की धनराशि" के स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा श्रीर सदैव से रखा गया समझा जायगा;

(ग) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रही जायनी शीर सदैव से रखी गयी समझी जायगी, प्रथति:---

"(2) राणि उस दिनांक से देय होगी, जिस दिनांक को धारा 14 की उपधारा (8) के अधीन भूमि पर कब्जा किया जाय, और जब राशि पाने के हकदार व्यक्ति की विभिन्न भूमि पर कब्जा विभिन्न दिनांकों पर किया जाय तो ऐसे दिनांकों में अंतिम दिनांक से देय होगी, भौर वह उस राग्नि के अवधारण के दिनांक से देय होगी।";

(घ) उपधारा (3) मे--

(1) शब्द "इस अधिनियम के अधीन अवधारित प्रतिकर की धनराशि" के स्थान पर शब्द भीर ग्रंक "धारा 17 के भ्रधीन भनधारित राशि" रखे जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे;

(2) जब्द 'प्रतिकर दातव्य होने के दिनांक सें" के स्थान पर जब्द 'ऐसी राजि देय होने के दिनांक से " रखे जायेंगे और सर्देव से रखे गये समझे जायेंगे;

(३) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायगी भीर सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात् :---

"(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त राशि का भुगतान राज्य सरकार को अतिरिक्त भूमि के संबंध में सम्पूर्ण दायित्व से पूर्णतः जन्मुक्त करेगा, किन्तु उस व्यक्ति के प्रति जिसे इस प्रकार भुगतान किया जाय, उक्त राशि के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकृत प्रभाव न पड़ेगा।"

20--मूल अधिनियम की धारा 23 में--

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "प्रतिकर की धनराशि" के स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा श्रीर सदैव से रखा गया समझा जायगा;

(ख) शब्द "प्रतिकर" के स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा ।

21---मूल ग्रधिनियम की धारा 27 में--

(1) उपधारा (3) में, शब्द, अंक तया कोष्ठक "उपधारा (1) और (2)" के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोव्ठंक "उपधारा (1)तथा (3)" रखे जायेंगे;

धारा 17-零 का संशोधन

वारा 17-密 का संशोधन

धारा 18 की संशोधन

पारा संशोधन

घारा 22

संशोधन

बारा 23 का संघोधन

धारा 27 का संशोधन

(2) उपधारा (6) मैं—-

- (क) शब्द "ऐसे प्रारम्भ के दिनांक के एक वर्ष के भीतर" के स्थान पर सब्द, कोच्छक और भ्रंक "उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन)श्रक्षिनियम, 1975 के प्रारम्भ से पांच वर्ष के भीतर" खें जायेंगे;
 - (खं) अञ्च "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष" रखे जायेंगे;
- (3) उपधारा (7) में जब्द "गजट में श्रधिसूचना द्वारा" के स्थान पर शब्द "विहित रीति से प्रकाशित किये जाने वाले सामान्य या विशेष ग्रादेश द्वारा" रखे जायेंगे ।

धारा ,29 का संकोधन 22—मूल अधिनियम की धारा 29 में, शब्द "और तदनुसार इस प्रकार पुनः स्रवधारित प्रधिकतम क्षेत्र से स्रधिक भूमि जो उसके द्वारा धृत होगी, स्रतिरिक्त भूमि के रूप में व्यवहरित की जाने गोग्य होगी" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द तथा अंक रखे जायेंगे, स्रथीत :--

''म्रौर तदनुसार इस म्रधिनियम के उपवन्ब, धारा 16 को छोड़कर ऋावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।''

ंधारा 35 का प्रतिस्थापन 23—मूल अधिनियम की धारा 35 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:— "35-(1) कोई भी जो—

- (क) धारा 9 की उपधारा (2) या उपधारा (2-क), या धारा 30 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार विवरण या धारा 38-क की उपधारा (1) के अधीन शपथ-पत प्रस्तुत नहीं करता है, या
- (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट विवरण देता है या प्रस्तुत करता है या दस्तावेज में कोई सूचना देता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने के बारे में विश्वास करने का कारण उसके पास है, या
- (ग) इस ग्रिधिनियम के अधीन दिये गये किसी बादेश का अन्यया उल्लंधन करता है, या
- (घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी भूमि का कब्जा लेने में किसी व्यक्ति को क्कावट पहुंचाता है, या
- (ङ) धारा 5 की उपधारा (8), या धारा 6 की उपधारा (2) के उल्लंघन पूर्वक किसी भूमि का अन्तरण करता है,

तो वह कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकता है या ग्रर्थ-दंड से या दोनों से दंडनीय होगा।

- (2) जहां कलेक्टर ने धारा 14 की उपवारा (8) के अधीन किसी अतिरिक्त भूमि पर कब्जा किया है और कोई व्यक्ति तत्पश्चात् किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के विना ऐसी भूमिया उसके किसी भाग पर अध्यासन करता है वहां वह व्यक्ति कारावास से ऐसी अविध के लिये, जो तीन वर्ष तक की हो सकती है, या अर्थ-दंड से या दोनों से दंडनीय होगा।
- (3) उपद्यारा (2) के ब्राधीन किसी व्यक्ति को सिद्ध-दोष ठहराने वाला कोई न्यायालय उस व्यक्ति को सरसरी तौर पर ऐसी भूमि से बेदखल करने का आदेश दे सकता है, और ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के ब्राधीन उसके विरुद्ध की जा सकती है, बेदखल कर दिया जायना।
- (4) उपधारा (2) घोर (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी भूमि कापुन: कब्जा ले सकता है श्रीर इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो किसी व्यक्ति को जिसका उस पर अध्यासन पाया जाय, बेदखन करन के लिए आवश्यक हो।"

नयीधारा 35-क कावढ़ाया जाना 24--मूल ग्रिधिनियम की धारा 35 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ायी जायगी, अर्थात्:-"35-क--कोई न्यायालय, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी

अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय

श्रपराध का संज्ञान किसी श्रपराध का संज्ञान नहीं करेगा।"

धारा 38 का संजोधन 25—मूल ग्रिधिनियम की धारा 38 में, उपधारा (2) में, शब्द "किसी व्यवहार न्यांयाधीश (सिविल जज)" के स्थान पर शब्द "किसी अपर जिला न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश या अपर व्यवहार न्यायाधीश" रखे जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

नई धारा 38-क भौर 38-ख का बढ़ाया जाना 2 6--मूल ग्रविनियम की धारा 38 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ाई जायेंगी, ग्रर्थात्:-

"38-क-(1) — जहां नियत प्राधिकारी या श्रपील न्यायालय इस ग्रधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन के लिये यह ग्रावश्यक समझे, वहां वह इस ग्रधिनियम के खातेदार से श्र्मि ग्रधीन कार्यवाही में किसी प्रक्रम पर किसी खातेदार से श्रपेक्षा कर सकता है का विवरण मांगने कि वह ग्रपने या ग्रपने परिवार के सदस्यों द्वारा धृत भूमि के सम्बन्ध में ऐसा की ग्रावित विवरण, जैसा नियत किया जाय, ग्रपथ-मत्र द्वारा प्रस्तुत करे।

(2) खातेदार की श्रतिरिक्त भूमि के ग्रवधारणार्थं उपधारा (1) के ग्रधीन प्रस्तुत भूमि के विवरण पर विचार किया जा सकता है।

38-ख-इस प्रधिनियम द्वारा नियंत्रित किसी विषय के सम्बन्ध में किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकारी द्वारा किसी कार्यवाही में या किसी वादपद पर (जिसके अन्तर्गत कोई आदेश, डिकी या निर्णय भी है) इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व दिये गये किसी निष्कर्ष या विनिश्चय से इस अधिनियम के अधीन ऐसी कार्यवाही या वादपद पर समय-समय पर यथासंशोधित इस अधिनियम के उपवन्धों के अनुसार पुनः विचारण में कोई रकावट न होगी। "

27—मूल प्रिविनियम की घारा 40 के स्थान पर निम्नलिखित घारा रखी जायगी,
 मर्थात्:—

"40—यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के उपवन्दों के अधीन राज्य सरकार को कोई धनराशि देग हो, तो उसे वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना, अध्याय 3 के अधीन ऐसे व्यक्ति को देग राशि से, यदि कोई हो, काट कर या मालगुजारी के बकाया के रूप में बसूल किया जा सकता है।"

28-मूल ग्रविनियम की धारा 41 में, शब्द "प्रतिकर की धनराशि" के स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा श्रीर सदैव से रखा गया समझा जायगा।

29--मूल ग्रिधिनियम की धारा 44 में--

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपघारा रखी जायगी, श्रर्थात्:---

"(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों की कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।";

(ख) उपधारा (१) में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ाया जायगा, म्रयीत्—

"(खख) मतें जो धारा 6 की उपधारा (2) के श्रधीन भूमि का श्रन्तरण करने की अनुज्ञा देने से संबंधित हो;";

(ग) उपधारा (3) निकाल दी जायगी।

30--मूल ग्रधिनियम की अनुसूची में--

(क) भाग I में, द्वितीय स्तम्भ में—

(i) मद (क) के साभने शब्द "ग्रथवा देय मालगुजारी का श्रस्ती गुना, इसमें जो भी श्रधिक हो," निकाल दिये जार्येंगे श्रीर सदैव से निकाले गये समझे जायेंगे;

(ii) मद (ख) के सामने, शब्द "प्रतिकर की धनराशि", जहां कहीं भी आये हों, उनके स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा;

(iii) यद (घ) में, शब्द "गांव समाज" के स्थान पर शब्द "गांव सभा" रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा;

(iv) मद (ङ) के सामने, शब्द "प्रतिकर की धनराशि", जहां कहीं भी आये हों, उनके स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा;

(ख) भाग 3 में---

(i) मद (क) में, शब्द "प्रतिकर" जहां कहीं भी श्राया हो, उसके स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा;

(ii) मद (ख) के स्थान पर निम्नतिखित मद रखी जायगी भौर सदैव से रखी गयी समझी जायगी, श्रयात्:——

"(ख) घारा 3 ने खण्ड (9) में उल्लिखित सरकारी पट्टेदार के शिकमी पट्टेदार को देय राशि उस राशि का 7/8 भाग होगी, जिसकी गणना ऊपर दी हुई भद (क) के अनुसार की गई हो, और शेष राशि संबद्ध सरकारी पट्टेदार को दी जायगी;";

(ग) भाग 4 में ---

(i) सद (क) के नीचे टिप्पणी के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पणी रखी जायगी धीर सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात:—

"टिप्पणी—इमारत की राशि के अन्तर्गत उस भूमि की राशि भी होगी जिस पर इमारत स्थित हो।"; धारा 40 का संशोधन

थारा 41 का संशोधन

धारा 44 का संशोधन

अनुसूची का संशोबन

(ii) इमद (ग) में--

- (1) उपमद (1) के नीचे की टिप्पणी निकास दी जामगी और सदैव से निकासी गयी समझी जायगी:
 - (2) उपमद (3) के सामने द्वितीय स्तम्भ की प्रविष्टि के स्थान पर निम्त-लिखित प्रविष्टि रखी जायगी और सर्देव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात्:—— "ऐसे वृक्षों के वार्षिक उचित औसतं मृल्य का ब्राठ गुना";
 - (3) उपमद (3) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ाया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, त्रर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—मद (ग) के प्रयोजनार्थ, किसी वृक्ष के सम्बन्ध में पद 'ग्रौसत मूल्य' का तात्पर्य ऐसे वृक्ष से होने वाले बीस वर्ष के लाभ के श्रंकगणितीय श्रौसत से हैं। "

संक्रमणकालीन उपबन्ध

- 31—(1) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) श्रध्या देश, 1976 के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व यथा विख्मान मूल अधिनयम की धारा 14 की उपधारा (3) से (7) के श्रधीन सभी कार्यवाहियां जो ऐसे प्रारम्भ होने के दिनांक के ठीक पूर्व किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हों, ऐसे दिनांक को उपशमित समक्षी जायेंगी।
- (2) यदि मूल श्रिष्ठिनियम के अधीन किसी खातेदार के संबंध में श्रीतिरिक्त भूमि श्रवधारित करने का श्रादेश दिनांक 17 जनवरी, 1975 के पूर्व दिया गया हो श्रीर नियत प्राधिकारी से उत्तर प्रदेश श्रिष्ठिकतम जीत-सीमा श्रारोपण (संशोधन) श्रिष्ठिनियम, 1974 की धारा 9 के श्रधीन श्रितिरिक्त भूमि का पुन: श्रवधारण करने की श्रपेक्षा की जाय तो उत्तर प्रदेश श्रिष्ठिकतम जोत-सीमा श्रारोपण (संशोधन) श्रिष्ठिनियम, 1972 की धारा 19 की उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, उक्त श्रादेश के विरुद्ध प्रस्तुत और 10 श्रक्तूबर, 1975 के ठीक पूर्व विचाराधीन मूल श्रिष्ठिनियम की धारा 13 के श्रधीन प्रत्येक श्रपील या ऐसी श्रपील के सम्बन्ध में श्रन्य कार्यवाहियां उक्त दिनांक को उपशमित समझी जायेंगी।
- (3) यदि 10 अक्तूबर, 1975 के पूर्व मूल अधिनियम के अधीन किसी खाते दार के सम्बन्ध में अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने का आदेश दिया गया हो, तो चाहे ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत की गयी हो या नहीं और अतिरिक्त भूमि के अवधारण के मूल आदेश के विरुद्ध किसी अपील के होते हुए भी (चाहे वह विचाराधीन हो या निर्णीत हो), नियत प्राधिकारी (जैसा कि मूल अधिनियम में परिभाषित हैं) उक्त दिनांक से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अनुसार अतिरिक्त भूमि का पुनः अवधारण कर सकता है।
- (4) इस धारा की उपधारा (3) के श्रधीन या उत्तर प्रदेश श्रधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संगोधन) श्रधिनियम, 1974 की घारा 9 के श्रधीन श्रतिरिक्त भूमि का पुनः अवधारण करने के प्रत्येक श्रादेश के सम्बन्ध में मूल श्रिधिनियम की धारा 13 के उपबन्ध, श्रावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे:

प्रतिवन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश श्रविकतम जोत-सीमा ग्रारोपण (संशोधन) श्रविनियम, 1974 की धारा 9 में निर्दिष्ट ग्रादेश के विरुद्ध ग्रपील की दशा में, तीस दिन की श्रविध की गणना ऐसे ग्रादेश के दिनांक से या 10 श्रक्तूबर, 1975 से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, की जयिंगी।

- (5) मूल ग्रिधिनियम की धारा 13-क के उपवन्त्व, ग्रावश्यक परिवर्तन सहित, इस धारा के अधीन या उत्तर प्रदेश ग्रिधिकतम जोत-सीमा ग्रारोपण (संशोधन) ग्रिधिनियम, 1974 की धारा 9 के अधीन ग्रितिस्क भूमि के प्रत्येक पुनः ग्रवधारण पर लागु होंगे।
- (6) यदि कोई निर्धारण सूची 16 फरवरी, 1976 के पूर्व धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन श्रन्तिम हो गयी हो, तो इस अधिनियम द्वारा, अनुसूची के साथ पठित मूल अधिनियम के अध्याय 3 में किये गये किसी संजोधन के होते हुए भी, उस पर पुनः विचार नहीं किया जायगा।

निरसन ग्रौर अपवाद

- 32—(1) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा धारोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्दारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन या 1976 के उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुए थी, उन्त अध्यादेशों द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्य वाही इस अधिनियम द्वारा संशोधित सूल अधिनियम के तदनुष्य उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी मार्नो यह अधिनियम सभी सारभुत समय पर प्रवृत्त था।

उत्तर प्रो स्र म्यादेश संस्था ।। 1976

उत्तर के अधिनिया संख्या 1975 उत्तर प्रदेश प्रक्षितियम संख्या

उत्तर हो। श्रद्धादेश संख्या । 1976

No. 1998/XVII-V-1-152-75

Dated Lucknow, May 3, 1976

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Adhiktam Jot Sima Aropan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 1976) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on April 30, 1976.

THE UTTAR PRADESH IMPOSITION OF CEILING ON LAND HOLDINGS (AMENDMENT) ACT, 1976

[U. P. Act no. 20 of 1976]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India, as follows :--

(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling commencement. on Land Holdings (Amendment) Act, 1976.

Short title and

- (2) It shall be deemed to have come into force on October 10, 1975.
- 2. It is hereby declared that this Act is for giving effect to the policy of the State towards securing the principles specified in clauses (b) and (9) of Article 39 of the Constitution.

Declaration.

Substitution

- 3. In the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960, hereinafter referred to as the principal Act,-
 - (a) for the words "Compensation Officer" wherever occurring, the words "Prescribed Authority" shall be substituted; and
 - (b) for the words "Compensation Assessment Roll", wherever occurring, the words "Assessment Roll" shall be substituted.

the words "Pres-cribed Authority" for the word "Compensation Officer", and the words "Assess-ment Roll" for the words "Compensation Assessment Roil" in U. P. Act I of 1961.

- A) 4. In section 2 of the principal Act, in clause (ii), for the words "Uttara-khand Division and Kumaon Division", the words "Kumaon and Garhwal Divisions" shall be substituted, and be deemed to have been substituted from December 20, 1968.
 - Amendment of section 2 of U.P. Act I of 1961.

Amendment of

In section 3 of the principal Act-

247

section 3.

- (a) for clause (5), the following clause shall be substituted and be deemed always to have been substituted, namely:-
 - "(5) 'Corporation' means a statutory corporation, that is to say, a corporation established by or under an Uttar Pradesh Act or a Central Act.";
- (b) in clause (8), for the words "papaya, banana or vine plants", the words "guava, papaya, banana or vine plants" shall be substituted and be deemed to have been substituted from June 8, 1973;
- (c) for clause (11), the following clause shall be substituted and be deemed to have been substituted from June 8, 1973, namely:-
 - "(11) 'irrigated land' means land determined as such in the manner laid down in section 4-A."

Amendment of section 5.

- 6. In section 5 of the principal Act-
 - (a) in sub-section (1), in Explanation II thereof, for the words "If a land was originally held by a person who continues to be in its actual cultivatory possession, and the name of any other person is subsequently entered in the annual registers," the words "If on or before January 24, 1971, any land was held by a person who continues to be in its actual cultivatory possession and the name of any other person is entered in the annual register after the said date," shall be substituted and be deemed to have been substituted from January 17, 1975;
 - (b) in sub-section (6), in Explanation I thereof, for the existing clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—
 - "(a) a declaration of a person as a co-tenure-holder made after the twenty-fourth day of January, 1971 in a suit or proceeding irrespective of whether such suit or proceeding was pending on or was instituted after the twenty-fourth day of January, 1971.";
- (c) in sub-section (7), in the proviso thereto, clause (a) shall be omitted;
- (d) after sub-section (7), the following sub-section shall be inserted, namely:—
 - "(8) Notwithstanding anything contained in sub-sections (6) and (7), no tenure-holder shall transfer any land held by him during the continuance of proceedings for determination of surplus land in relation to such tenure-holder and every transfer made in contravention of this sub-section shall be void.

Explanation—For the purposes of this sub-section, proceedings for determination of surplus land shall be deemed to have commenced on the date of publication of notice under sub-section (2) of section 9 and shall be deemed to have concluded on the date when an order in relation to such tenure-holder is passed under sub-section (1) of section 11 or under sub-section (1) of section 12, or at the case may be, under section 13."

Amendment of 7. Section 6 of the principal Act shall be re-numbered and be deemed always to have been re-numbered, as sub-section (1) thereof; and—

(a) in sub-section (l) as so re-numbered, the following Explanation thereto shall be inserted and be deemed always to have been inserted, namely:—

"Explanation—Nothing in clause (f) of sub-section (l) shall apply in relation to a Goshala referred to in clause (g) of that sub-section.";

- (b) after sub-section (l) as so re-numbered, the following sub-sections shall be inserted, and be deemed always to have been inserted, namely:
 - "(2) No person shall transfer any land referred to in clause (d) or clause (e) or clause (f) or clause (g) of sub-section (l) without prior permission of the State Government, and every transfer made without such permission shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, be void:

Provided that nothing in this sub-section shall apply to any transfer by or in favour of any person specified in sub-section (2) of section 5.

(3) Any land which is the subject of any transfer which by virtue of sub-section (2) is void, shall be deemed to be surplus land, and shall, with effect from October 10, 1975 or the date of such purported transfer, whichever is later, stand transferred to and vest in the State Government free from all encumbrances, and all rights, title and interests of all persons in such land shall stand extinguished:

Provided that the encumbrances, if any, shall be attached to the amount payable under section 17 in substitution for the surplus land.

11

- (i) the provisions of sub-section (8) of section 14 shall apply as if it were a land notified under sub-section (1) of that section;
- (ii) the amount payable therefor under section 17 shall be paid to the person in whose favour such transfer was purported to be made."
- 8. In section 9 of the principal Act,-

(a) in sub-section (2), the following proviso thereto shall be inserted, namely:—

"Provided that at any time after October 10, 1975, the Prescribed Authority may, by notice, call upon any tenure-holder holding land in excess of the ceiling area applicable to him on the said date, to submit to him within thirty days from the date of service of such notice a statement referred to in sub-section (I) or any information pertaining thereto.";

(b) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(2-A) Every tenure-holder holding land in excess of the ceiling area on January 24, 1971, or at any time thereafter who has not submitted the statement referred to in sub-section (2) and in respect of whom no proceeding under this Act is pending on October 10, 1975 shall, within thirty days from the said date furnish to the Prescribed Authority a statement containing particulars of all land—

- (a) held by him and the members of his family on January 24, 1971;
- (b) acquired or disposed of by him or by members of his family between January 24, 1971 and October 10, 1975."
- 9. In section 12-A of the principal Act, in the proviso thereto-

(i) in clause (c) for the words "banking company", the words, figures, letter and brackets "bank as defined in clause (c) of section 2 of the Uttar Pradesh Agricultural Credit Act, 1973" shall be substituted and be deemed to have been substituted from March 31, 1975;

- (ii) in clause (d), in sub-section (i) for the word "compensation" the word "amount" shall be substituted and be deemed always to have been substituted.
- 10. In section 13-A of the principal Act. in sub-section (2), for the word and figures "and 15," the word and figures "15 and 16" shall be substituted.

11. In section 14 of the principal Act-

(a) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(2) As from the beginning of the date of the notification under sub-section (1), all such surplus land shall stand transferred to and vest in the State Government free from all encumbrances and all rights, title and interests of all persons in such land shall, with effect from such date, stand extinguished:

Provided that the encumbrances, if any, shall be attached to the amount payable under section 17 in substitution for the surplus land."

(b) sub-sections (3), (4), (5), (6) and (7) shall be omitted;

'(c) for sub-section (8), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(8) The Collector may at any time after the publication of the notification under sub-section (I) take possession of the surplus land and also of any ungathered crop or fruits of trees not being crops or fruits to which sub-section (1) of section 15 applies, after

Amendment of section 9.

Amendment o section 12-A.

Amendment o

Amendment of section 14.

evicting the tenure-holder or any other person found in occupation of such land, and may, for that purpose, use or cause to be used such force as may be necessary:

Provided that a tenure-holder may, at any time voluntarily deliver possession to the Collector over the whole or any part of the land held by him which has been or is likely to be declared surplus under and in accordance with the provisions of this Act, and thereupon the provisions of sub-section (2) shall apply to such land as they apply to any surplus land specified in a notification under sub-section (1).

Amendment of section 15.

12. In section 15 of the principal Act, in sub-section (1), the following Explanation shall be inserted, namely:—

"Explanation—For the purposes of this section, the expression ungathered crops or fruits of trees' means any crop or fruits which existed on the date of the notification under sub-section (1) of section 14 and does not include any subsequent crop or fruits of trees."

Insertion of new section 16.

13. In Chapter II, of the principal Act, after section 15, the following section shall be inserted, namely:

"16. Where my tenure-holder holds any land on or after the com-Damages for use and occupation of surplus on Land Holdings (Amendment) Act, 1972, in excess of the ceiling area applicable to him, he shall be liable

to pay to the State Government for the period cormencing from the first day of July, 1973, until the date on which the Collector takes possession of such surplus land under sub-section (8) of section 14, or the date on which the tenure-holder voluntarily delivers possession to the Collector under the proviso to the said sub-section whichever is earlier, such compensation for use and occupation as may be prescribed."

Amendment of section 17.

- 14. In section 17 of the principal Act-
 - (a) in the marginal heading including heading of the Chapter III, for the word "compensation" the word "amount" shall be substituted and be deemed always to have been substituted;
- (b) in sub-section (1), for the word "compensation", the word "amount" shall be substituted and be deemed always to have been substituted;
- (c) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted and be deemed always to have been substituted, namely:—
 - "(2) The sub-tenant or asami of the tenure-holder, not being an asami mentioned in section 11 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, shall be entitled to receive and be paid a portion out of the amount payable to the tenure-holder. The proportion of amount payable to the sub-tenant or the asami shall be the aggregate of the land revenue for the unexpired period of his subordinate interest computed at hereditary rates, so however, that the substenant or the asami shall not in any case, be entitled to more than one-fourth of the amount payable to the tenure-holder. The amount shall be apportioned between the tenure-holder and the sub-tenant or the asami by the Prescribed Authority.";
- (d) in sub-section (3), for the word "compensation" wherever occurring, the word "amount" shall be substituted and be deemed always to have been substituted.

Amendment of section 17-A.

- In section 17-A of the principal Act—
- (a) in the marginal heading and in clause (i) and clause (ii) for the word "compensation", wherever occurring, the word "amount" shall be substituted and be deemed always to have been substituted;
- (b) in clause (iii), for the words "the compensation shall be payable in accordance with section 17" the words "the amount shall be payable in accordance with section 17" shall be substituted and be deemed always to have been substituted.

Amendment of section 17-B.

- 16. In section 17-B of the principal Act-
- (a) in the marginal heading, for the words "refund of compensation of certain cases", the words "refund of amount in certain cases" shall be substituted and be deemed always to have been substituted;

(b) in sub-section (1), for the words "the proportionate amount of the compensation" the words "the proportionate part of the amount" shall be substituted and be deemed always to have been substituted.

17. In section 18 of the principal Act. for the words and figures "compensation payable under section 17", the words and figures "amount payable under section 17" shall be substituted and be deemed always to have been substituted.

Amendment of section 18.

18. In section 19 of the principal Act, in sub-section (1), for the words and figures "compensation under section 17", the words and figures "the amount payable under section 17" shall be substituted and be deemed always to have beer substituted.

Amendment of

Amendment of

section 22.

19. In section 22 of the principal Act-

(a) in the marginal heading, for the word "compensation" the word "amount" shall be substituted and be deemed always to have been substituted ;

(b) in sub-section (1), for the words "the amount of compensation", the words "the amount" shall be substituted and be deemed always to have been substituted;

(c) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted and be deemed always to have been substituted, namely :-

"(2) The amount shall be due as from the date on which possession of the land is taken under sub-section (8) of section 14, and, when possession of different lands of the persons entitled to the amount is taken on different dates, from the last of such dates, and the same shall be payable from the date of determination thereof."

(d) in sub-section (3)-

(i) for the words "the amount of compensation determined under this Act". the words and figures "the amount determined under section 17" shall be substituted and be deemed always to have been

substituted; (ii) for the words "the date on which compensation becomes due", the words "the date on which such amount becomes due" shall be substituted and be deemed always to have been substituted;

(e) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, and be deemed always to have been substituted, namely :-

"(4) The payment of the said amount in accordance with the provisions of this 'Act shall be full discharge of all liability of the State Government in respect of the surplus land, but shall not prejudice the rights of any other person against the person to whom such payment is so made in respect of the said amount.

In section 23 of the principal Act—

(a) in the marginal heading, for the words "compensation money" the word "amount" shall be substituted and be deemed always to have been substituted ;

(b) the words "of compensation", shall be omitted and be deemed always to have been omitted.

In section 27 of the principal Act—

(i) in sub-section (3), for the words, figures and brackets "sub-sections (1) and (2)", the words, figures and brackets "sub-sections (1) and (3)" shall be substituted;

(ii) in sub-section (6) -

- (a) for the words "within one year from the date of such commencement", the words brackets and figures "within five years from the commencement of the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1975" shall be substituted;
- (b) for the words "two years", the words "five years" shall be substituted.
- (iii) in sub-section (7). for the words "by notification in the Gazette", the words "by a general or special order to be published in the manner prescribed" shall be substituted.

Amendment of section 23.

Amenoment of section 27.

Amendment of section 29,

22. In section 29, of the principal Act, for the words "and accordingly any land held by him in excess of the ceiling area so determined shall be liable to be treated as surplus land", the following words and figures shall be substituted, namely:—

"and accordingly the provisions of this Act, except section 16, shall mutatis mutandis apply."

Amendment of section 35.

23. For section 35 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

'35. (1) Whoever—

- (a) fails to submit a statement as required under sub-section (2) or sub-section (2-A) of section 9, or sub-section (1) of section 30, or to furnish an affidavit under sub-section (1) of section 38-A; or
- (b) makes or submits a statement or furnishes any information in a document referred to in clause (a) which is false and which he has reason to believe to be false; or
 - (c) otherwise contravenes any order passed under this Act; or
- (d) obstructs any person from taking possession of any land in accordance with the provisions of this Act; or
- (e) transfers any land in contravention of sub-section (8) of section 5, or sub-section (2) of section 6;

shall be punishable with imprisonment which may extend to two years or with fine or with both.

- (2) Where the Collector has taken possession of any surplus land under sub-section (8) of section 14 and any person thereafter occupies such land or any part thereof without any lawful authority, such person shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both.
- (3) Any court convicting a person under sub-section (2) may make an order for evicting the person summarily from such land, and such person shall be liable to such eviction without prejudice to any other action that may be taken against him under any law for the time being in force.
- (4) Without prejudice to the provisions of sub-sections (2) and (3), the Collector may re-take possession of such land and may for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary for evicting any person found in occupation thereof."

Insertion of new section 35-A.

- 24. After section 35 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-
 - "35-A. No court shall take cognizance of any offence punishable Cognizance of under this Act except with the previous sanction of the offences. State Government, or an officer authorised by the State Government."

Amendment of section 38.

25. In section 38 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "any Civil Judge" the words "any Additional District Judge, Civil Judge or Additional Civil Judge" shall be substituted and be deemed always to have been substituted.

Insertion of new sections 38-A and 38-B.

- 26. After section 38 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:—
 - Power to call for considers it necessary for the enforcement of the proparticulars of land from tenure holders.

 held by him and members of his family as may be prescribed.
 - (2) The particulars of land filed under sub-section (I) may be taken into consideration in determining the surplus land of such tenure-holder.
 - 38-B. No finding or decision given before the commencement of this

 Bar against Res
 section in any proceeding or on any issue (including any order, decree or judgment) by any court, tribunal or authority in respect of any matter governed by this

 Act, shall bar the retrial of such proceeding or issue ander this Act, in

Act, shall bar the retrial of such proceeding or issue under this Act, in accordance with the provisions of this Act as amended from time to time."

For section 40 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

Amendment of section 40.

- "40. Where any sum is payable by any person to the State Government, under the provisions of this Act, the same may, without prejudice to any other mode of recovery, be realised by deduction from the amount, if any, payable to such person under Chapter III, or as an arrear of land
- In section 41 of the principal Act, for the words "amount of compensation" the words "amount" shall be substituted and be deemed always to have been substituted.

Amendment of section 41.

Amendment of section 44.

- 29. In section 44 of the principal Act-
 - (a) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:-
 - "(1) The State Government may, by notification make rules for carrying out the purposes of this Act.";
 - (b) in sub-section (2), after clause (b) the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(bb) Conditions pertaining to the grant of permission to transfer land under sub-section (2) of section 6,";
 - (c) sub-section (3) shall be omitted.
- In the Schedule to the principal Act-

Amendment of the Schedule.

- (a) in Part I, in the second column-
 - (i) against item (a), the words "or eighty times of the land revenue payable, whichever, is greater" shall be omitted and be deemed always to have been omitted;
 - (ii) against item (b), for the words "amount of compensation", wherever occurring, the word "amount" shall be substituted and be deemed always to have been substituted;
 - (iii) in item (d) for the words "Gaon Samaj", the words "Gaon Sabha" shall be substituted and be deemed always to have been substituted;
 - (iv) against item (e) for the words, "amount of compensation" wherever occurring, the word "amount" shall be substituted and be deemed always to have been substituted;
- (b) in Part III--
 - (i) in item (a), for the word "compensation" wherever occurring the word "amount" shall be substituted and be deemed always to have been substituted;
 - (ii) for item (b) the following item shall be substituted and be deemed always to have been substituted, namely:-
 - "(b) The amount payable to a sub-lessee of a Government lessee mentioned in clause (9) of section 3 shall be seven-eighth of the amount calculated as in the case of item (a) above, and the balance shall be paid to the Government lessee concerned;";
- (c) in Part IV—
 - (i) for the Note below item (a), the following note shall be substituted and be deemed always to have been substituted, namely :-

"Note-The amount for building shall include the amount for land on which the building stands,";

- (ii) in item (c) -
 - (1) the Note below sub-item (1) shall be omitted and be deemed always to have been omitted;
 - for the entry in the second column against sub-item (3), the following entry shall be substituted and be deemed always to have been substituted, namely:-
 - "Eight times the annual fair average value of such trees;"

(3) after sub-item (3), the following Explanation shall be inserted and be deemed always to have been inserted, namely:—

"Explanation—For the purposes of item (c) the expression 'average value', in relation to a tree, means the arithmetic mean of twenty years' profits accruing from such tree."

II of ig

Transitory provisions.

- 31. (1) All proceedings under sub-sections (3) to (7) of section 14 of the principal Act, as it stood immediately before the commencement of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Ordinance, U.P. 1976, pending before any Court or authority immediately before the date of such commencement shall be deemed to have abated on such date.
- (2) Where an order determining the surplus land in relation to a tenure-holder has been made under the principal Act before January 17, 1975 and the Prescribed Authority is required to redetermine the surplus land under section 9 of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1974, then notwithstanding anything contained in subsection (2) of section 19 of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1972, every appeal under section 13 of the principal Act or other proceedings in relation to such appeal, preferred against the said order, and pending immediately before the tenth day of October, 1975, shall be deemed to have abated on the said date.
- (3) Where an order determining surplus land in relation to a tenure-holder has been made under the principal Act before the tenth day of October, 1975, the Prescribed Authority (as defined in the principal Act) may, at any time within a period of two years from the said date, redetermine the surplus land in accordance with the principal Act as amended by this Act, whether or not any appeal was filed against such order and notwithstanding any appeal (whether pending or decided) against the original order of determination of surplus land.
- (4) The provisions of section 13 of the principal Act shall mutatis mutandis apply to every order redetermining surplus land under sub-section (3) of this section or section 9 of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1974:

Provided that the period of thirty days shall, in the case of an appeal against the order referred to in section 9 of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1974, be computed from the date of such order or October 10, 1975, whichever is later.

- (5) The provisions of section 13-A of the principal Act shall mutatis mutandis apply to every redetermination of surplus land under this section or under section 9 of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1974.
- (6) Where any Assessment Roll has become final under sub-section (4) of section 21 before the sixteenth day of February, 1976, the same shall not be reopened, notwithstanding any amendment made in Chapter III of the principal Act read with the Schedule thereof by this Act.

Ropeal and savings.

- 32. (1) The Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Ordinance, 1976, is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal or the repeal of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Ordinance, 1975, by the aforesaid Ordinance of 1976, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the said Ordinances shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act 25 amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

श्राज्ञा से, केलाश नाथ गोयल, सचिव ।